**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।**

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–787 / 2025

आदेश

**10.03.2026** अभिलेख सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता अंजु कुमारी आज न्यायालय में उपस्थित है।

आवेदक अभियुक्त 1. ओम कुमार 2. विश्वनाथ चौधरी एवं 3. उषा देवी की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिंह के द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए यह कहा गया है कि आवेदक अभियुक्तों के द्वारा प्रस्तुत वाद को दाखिल किया गया था। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया जा चुका है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को दिनांक 10.03.2026 को सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गई थी। आवेदक अभियुक्तगण इस अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित करना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभियुक्तगण इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं, इस कारण उन्होंने आवेदक अभियुक्तों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लिए जाने की प्रार्थना की है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन तिवारी को दी गई है। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के आवेदन का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। चूंकि आवेदक अभियुक्तगण इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। इस कारण आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।